न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 30 / 2021

1 गफार खां पुत्र स्व. कासम खां
2 सतार खां पुत्र स्व. कासम खां जाति कायमखानी निवासी महनसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मृतक श्रीमती बिस्मिला स्त्री स्व. अलीमखां जाति कायमखानी निवासी महनसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2 आमीन खां पुत्र अलीम खां
3 याकुब पुत्र अलीम खां
4 जमीन पुत्री अलीम खां
5 जैतुन स्त्री मुन्शीखां
6 रसीद पुत्र मुन्शीखां
7 इमरान पुत्र मुन्शीखां
8 श्रीमती जैतुन स्त्री स्व. मोतीखां
9 सुमईया पुत्री स्व. मोतीखां
10 हीना पुत्री स्व. मोतीखां
समस्त जाति कायमखानी निवासी महनसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
11 सुरजा पुत्र जीवन
12 केसरीया पुत्र जीवन जाति दारोगा निवासी महनसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
13 उप पंजीयक बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
14 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर * राजस्थान

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री
दिनांक 23.03.2021 बअदालत उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर जिला झुन्झुनू पीठासीन अधिकारी
शकुन्तला आरएएस मुकदमा उनवानी गफार
बनाम मृतक श्रीमती बिस्मिला मु.नं. 83/2017
दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व
स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः—30.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा 83/2017 में पारित निर्णय दिनांक 23.03.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी अपीलांट ने एक वाद घोषणा, रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 78, 79 सरहद राजस्व ग्राम महनसर तहसील मलसीसर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद 11 सीपीसी के आधार पर खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जमीन गत खसरा नम्बर 58 तादादी 22 बीघा 17 बिश्वा सरहद राजस्व ग्राम महनसर पुरानी तहसील झुन्झुनू वर्तमान तहसील मलसीसर में स्थित है। जमीन पहले तत्कालीन ठिकाना के पाना महनसर के ठाकर रघुवीर सिह की जमीन थी। उक्त जमीन को तत्कालीन ठिकाना से लगान के बदले काश्त हेतु अपीलान्टस के दादा जी नन्दुखां पुत्र महनुखां जाति कायमखानी निवासी महनसर ने प्राप्त की थी तथा उक्त नन्दुखां ने उक्त जमीन का लगान तत्कालीन ठिकाना को अदाकर उक्त जमीन को बतौर टिनेन्ट काबिज काश्त रहा। इस प्रकार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 प्रभाव में आने पर उक्त जमीन का खातेदार बाई आपरेशन ऑफ ला अपीलान्टस का दादाजी नन्दुखां खातेदार हुआ। उक्त नन्दुखां का देहान्त सन् 1956 में हो चुका है। नन्दुखां के दो पुत्र अलीमखां एवं कासमखां पैदा हुये। नन्दुखां के देहान्त होने के बाद उक्त जमीन उत्तराधिकार में संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर उसके पुत्र अलीमखां एवं कासमखां तथा स्त्री पैपी को प्राप्त हुई तथा प्रत्येक का उक्त जमीन में 1/3 हक हिस्सा हुआ। नन्दुखां की स्त्री पैपी का भी देहान्त हो चुका है। पैपी के देहान्त के बाद उसके 1/3 हक हिस्सा की जमीन उसके पुत्र अलीमखां एवं कासम खां को प्राप्त हुई। इस प्रकार उक्त जमीन में उक्त नन्दुखां के पुत्र अलीमखां एवं कासमखां प्रत्येक का 1/2 हक हिस्सा हुआ। नन्दुखां के पुत्र अलीमखां का भी करीब 20 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है। उक्त जमीन में उक्त अलीमखां का 1/2 हक हिस्सा था। उक्त अलीमखां, के चार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

पुत्र मुंशीखां, मोतीखां, आमीनखां के देहान्त होने के बाद उक्त जमीन में से उसके 1/2 हक हिस्सा की जमीन संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर उसकी स्त्री रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व पुत्र रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 तथा पुत्री रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 तथा पुत्र स्व. मुंशीखां एवं मोतीखां को प्राप्त हुई। इस प्रकार उक्त अलीमखां के चारों पुत्र एवं पुत्री तथा स्त्री प्रत्येक का उक्त जमीन में 1/2 हक हिस्सा हुआ। अलीमखां के पुत्र मुंशीखां का भी देहान्त हो चुका है। विवादित जमीन में उक्त मुंखीखां का 1/12 हक हिस्सा था। रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 से 7 स्त्री व पुत्र होने से उक्त मुंशीखां के वारिस है। मुंशीखां के देहान्त होने के बाद इस जमीन में से उसके 1/12 हक हिस्से की जमीन उत्तराधिकार में रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 से 7 को संयुक्त रूप से प्राप्त हुई। उक्त मुंशीखां के पुत्र मोतीखां का भी देहान्त हो चुका है। इस जमीन में उक्त मोतीखां का 1/2 हक हिस्सा था। मोतीखां का देहान्त हो चुका है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 से 10 उक्त मोतीखां के वारिस है। उक्त मोतीखां के देहान्त होने के बाद उक्त जमीन में से उसके 1/12 हक हिस्से की जमीन उत्तराधिकार में रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 से 10 को संयुक्त रूप से प्राप्त हुई। नन्दु के पुत्र कासमखां का भी देहान्त हो चुका है। इस जमीन में कासमखां का 1/2 हक हिस्सा था। कासमखां की स्त्री का देहान्त कासम खां के जीवनकाल में हो चुका था। कासम खां के दो पुत्र अपीलान्टस नम्बर 1 व 2 पैदा हुये। कासमखां के देहान्त होने के बाद इस जमीन में से उसके 1/2 हक हिस्सा की जमीन उत्तराधिकारी में संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर अपीलान्टस नम्बर 1 व 2 को प्राप्त हुई एवं इसी मुताबिक काबिज काश्त है व रहे है। उक्त जमीन के सम्बन्ध में पहले अपीलान्टस के दादाजी नन्दुखां ने तत्कालीन सहायक कलेक्टर झुन्झुनू के यहां मुकदमा उनवानी नन्दुखां बनाम सुरजा मु.नं. 65/1957 पेश किया जो वाद पत्र उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.1958 को डिक्रीकर नन्दुखां के पुत्र अलीमखां एवं कासमखां एवं स्त्री पैपी को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। उक्त नन्दुखां के पुत्र अलीमखां एवं कासमखां ने मु.नं. 65/57 उनवानी नन्दुखां बनाम सुरजा नन्दुखां के देहान्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

होने के बाद उनवानी अलीमखां बनाम सुरजा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 06.12.1958 की प्रति तहसीलदार व पटवारी हल्का को देकर निर्णय व डिक्री के मुताबिक नामान्तकरण स्वीकृत बाबत उपलब्ध करवा दी थी तब सम्बन्धित तहसीलदार एवं पटवारी हल्का ने उक्त अलीमखां एवं कासमखां को आश्वस्त किया कि निर्णय व डिक्री के मुताबिक नामान्तकरण स्वीकृत हो जायेगा इस कारण पहले उक्त अलीमखां एवं कासमखां ने यह सोचा कि निर्णय व डिक्री के मुताबिक उनका नाम राजस्व रिकार्ड में आ गया होगा। इस कारण पहले उन्होंने जमीन जैर बहस के राजस्व रिकार्ड की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया तथा बाद में उनके वारिसान ने भी जमीन जैर बहस कब्जे राजस्व रिकार्ड की तरफ ध्यान दिया। जमाबंदी सम्वत 2012 में अपीलान्टस के दादा जी नन्दुखां पुत्र महनुखां का नाम उप कृषक के तौर पर दर्ज है तथा कृषि काल 9 वर्ष दर्ज कर रखा है। इस जमीन की खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 में इस जमीन की काश्त अपीलान्टस के दादा जी नन्दु पुत्र महनुखां के नाम दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 से 2016 में भी नन्दुखां के नाम दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 में नन्दु फौत के बाद उसके पुत्र अलीमखां एवं कासिम खां के नाम काश्त दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 से 2019 में भी उक्त जमीन की काश्त उक्त नन्दु के पुत्र अलीमखां एवं कासिम के नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2029 से 2032 में भी उक्तानुसार काश्त दर्ज है। जमीन गत खसरा नम्बर 58 तादादी 22 बीघा 17 बिश्वा के बाद में दो बट्टा नम्बर गत खसरा नम्बर 58/1 तादादी 16 बिघा 4 बिश्वा एवं खसरा नम्बर 58/2 तादादी 6 बीघा 13 बिश्वा बने। जमीन गत खसरा नम्बर 58 में से कोई रेल्वे लाईन नहीं है ना ही जमीन गत खसरा नम्बर 58 में कोई जमीन रेल्वे के लिये अधिग्रहण की गई। राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 58/2 तादादी 6 बीघा 13 बिश्वा जमीन रेल्वे के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी। जमीन गत खसरा नम्बर 58/1 तादादी 16 बीघा 4 बिश्वा जमीन पहले गलत रूप से जीवन पुत्र हुक्मा दरोगा तथा बाद में सुरजा पुत्र जीवन के नाम तथा उसके बाद केसुराम पुत्र जीवनराम के नाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

गलत दर्ज कर दी। जमीन गत खसरा नम्बर 58/1 तादादी 16 बीघा 4 बिश्वा के दौराने पैमाईश हाल खसरा नम्बर 78 रकबा 2.20 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 79 रकबा 1.90 हैक्टेयर बने। विचारण न्यायालय के समक्ष सिर्फ यही जमीन का दावा था। विचारण न्यायालय ने धारा 11 सीपीसी के आवश्यक प्रावधानों के तहत दावा पोषणीय नहीं मानकर दावा खारिज करने में कानूनी गलती की है। ' सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 पुर्व की धारा 11 पूर्व न्याय (**Res Judicata**) पुर्व न्याय के सिद्धान्त के मुताबिक 'कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद बिन्दु का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्ष ओर सारतः विवाद बिन्दु का निर्णय उन्हीं पक्षकारों के मध्य मौजुदा वाद पत्र से पहले किसी अन्य या कार्यवाही में अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है'। जहां उन्हीं पक्षकारों के मध्य उसी विवाद विषय के बाबत अगर पुर्व वाद या कार्यवाही खारीज होती है (यानि डिक्री द्वारा अनुतोष नहीं दिया गया है) वहां धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागु होता है। धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्पष्टीकरण–7 के मुताबिक जहां उन्हीं पक्षकारों के मध्य एवं उसी विवाद विषय के बाबत अगर पूर्व में डिक्री द्वारा अनुतोष दिया जा चुका है। (यानि दावा पूर्व में डिक्री किया जा चुका है) वहां उस प्रकरण में (**Res Judicata**) के सिद्धान्त के प्रावधान लागु नहीं होते। क्योंकि उक्त कार्यवाही डिक्री के निष्पादन के लिये पूर्ववर्ती कार्यवाही के प्रति निर्देशों के रूप में होगी। इस प्रकार विचारण न्यायालय के उपरोक्त प्रावधान के तहत दावा खारिज करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय ने धारा 11 सीपीसी के आवश्यक प्रावधानों के तहत दावा पोषणीय नहीं मानकर दावा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। ' सिविल प्रकिया संहिता की धारा 11 पूर्व न्याय (**Res Judicata**) के सिद्धान्त के मुताबिक 'कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद बिन्दु का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्ष और सारतः विवाद बिन्दु का निर्णय उन्हीं पक्षकारों के मध्य मौजुदा वाद पत्र से पहले किसी अन्य या कार्यवाही में अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है'। जहां उन्हीं पक्षकारों के मध्य उसी विवाद विषय के बाबत अगर पूर्व वाद या कार्यवाही खारिज होती है (यानि डिक्री द्वारा अनुतोष नहीं दिया गया है) वहां धारा 11 सिविल प्रकिया संहिता के पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागु होता है। धारा 11 सिविल प्रकिया संहिता का स्पष्टीकरण–7 के मुताबिक जहां उन्हीं पक्षकारों के मध्य एवं उसी विवाद विषय के बाबत अगर पूर्व में डिक्री द्वारा अनुतोष दिया जा चुका है। (यानि दावा पूर्व में डिक्री किया जा चुका है) वहां उस प्रकरण में (**Res Judicata**) के सिद्धान्त के प्रावधान लागु नहीं होते। क्योंकि उक्त कार्यवाही डिक्री के निष्पादन के लिये पूर्ववर्ती कार्यवाही के प्रति निर्देशों के रूप में होती है। इस प्रकार विचारण न्यायालय के उपरोक्त प्रावधान के तहत दावा खारिज करने में विधिक त्रुटि की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में समुचित साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 30.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)